



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220263
CG-DL-E-30062020-220263

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1899]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942

No. 1899]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

का.आ. 2144(अ).—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 2 के खंड (ज) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के उद्देश्य से "एसएलएस न्यास" नामक संस्थान को वित्तीय संस्थान के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 03/03/2020-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2020

S.O. 2144(E).—In exercise of the powers conferred by sub clause (ii) of clause (h) of section 2 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby specifies the institution, namely, the "SLS Trust" as financial institution for the purposes of the said Act.

[F. No. 03/03/2020-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.